

कार्यालय नगर निगम सहारनपुर।

खुली बोली नीलामी की सूचना

पत्रांक: 223 /रि0अनु0/न0नि0सहा0/2026-27

दिनांक :- 18/09/2026

सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक मेला म्हाडी पर चढाये जाने वाले प्रसाद, निशान, कपडा, आटा, चीनी इत्यादि (नगद धनराशि छोडकर) का ठेका हेतु खुली बोली नीलामी दिनांक 19.09.2026 बाद दोपहर 02:00 बजे सहायक नगर आयुक्त कार्यालय, नगर निगम सहारनपुर में आमंत्रित की गयी है।

इच्छुक बोलीदाता ठेके के निमित्त जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र व शपथ पत्र (फोटो सहित) जिसमें यह अंकित हो कि शपथकर्ता किसी संस्था का बकायेदार नहीं है और न ही कभी ब्लैक लिस्ट हुआ है, 20 हजार रुपये की जमानत राशि की एफ.डी. आर/नगद धनराशि/आरटीजीएस जमा करते हुए नीलामी/बोली में भाग ले सकते है। (मेले की अन्य शर्तें संलग्न)

प्रभारी रिकॉर्ड
नगर निगम सहारनपुर।

मा0 महापौर महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. निविदा समिति रिकॉर्ड अनुभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री मोहित तलवार, आई0टी0 ऑफिसर (आउटसोर्स) को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना पत्र व मेले की शर्तों को नगर निगम की वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
4. नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।

18/9/2026
प्रभारी रिकॉर्ड
नगर निगम सहारनपुर।

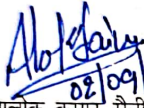
नगर निगम, सहारनपुर।

क्र.	पत्रावली संख्या	कार्य का नाम	आगणन धनराशि	धरोहर राशि	टैण्डर का मूल्य मय जी.एस.टी. (रुपये)	कार्य अवधि
1.	R.R.06/Mela/2026-27	मेला म्हाडी पर प्रसाद निशान, कपडा, आटा, चीनी इत्यादि का ठेका	180000.00	20000.00	590.00	दिनांक 21.09.2026 से 23.09.2026 तक

उपरोक्त तालिका में क्रम सं0 01 लगाये गये कार्य/आपूर्ति की निविदा शर्तें:-

1. निविदादाता/नीलामीदाता/फर्म को टैण्डर मूल्य, धरोहर धनराशि वेबसाईट etender.up.nic.in पर ऑनलाईन जमा करनी होगी। बिना टैण्डर मूल्य, धरोहर राशि के निविदा मान्य नहीं होगी व शर्त निविदा पर भी विचार नहीं किया जायेगा।
2. निविदादाता/नीलामीदाता/फर्म के द्वारा न्यूनतम ऑफर धनराशि अंकन 180000/- रुपये (एक लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) की होगी। इससे कम निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. निविदादाता/नीलामीदाता/फर्म को अंकन 100/- रुपये का स्टाम्प पेपर नोटरी द्वारा सत्यापित स्व-घोषणा प्रपत्र/शपथ पत्र देना होगा।
4. निविदादाता/नीलामीदाता/फर्म को जी.एस.टी0 रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र (कम से कम 100000.00 रुपये) निर्धारित स्टाम्प मय नोटरी ऑनलाईन निविदा में अपलोड करने अनिवार्य होंगे।
5. शासनादेश संख्या टी0सी0/314/8/डी0एल0बी0/2020 दिनांक 01.01.2021 के क्रम में अंकन 10-10 रुपये के 02 स्टाम्प पेपर पर क्रमशः उक्त समस्त पत्र जो निविदा के साथ संलग्न है, सही है या अन्य कोई विवाद 90 दिन से किसी न्यायालय में योजित नहीं है।
6. निविदा की अवधि दिनांक 21.09.2026 से दिनांक 23.09.2026 तक होगी। इसके उपरान्त निविदादाता/नीलामीदाता/फर्म का कोई स्वामित्व नहीं होगा।
7. सफल निविदादाता/नीलामीदाता/फर्म को म्हाडी स्थल पर केवल प्रसाद, निशान, कपडा, आटा, चीनी इत्यादि का अधिकार होगा। नकद चढावे की धनराशि पर कोई अधिकार नहीं होगा। यदि किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकूल संज्ञान प्राप्त होता है तो तत्काल निविदा निरस्त करते हुए धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
8. उच्चतम (H1) निविदादाता को नोटिस प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर सम्पूर्ण निविदा धनराशि निगम कोष में जमा करनी होगी एवं निर्धारित मूल्य के स्टाम्प कार्यालय में प्रस्तुत करने के पश्चात ही अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद ही कार्यदिश निर्गत किया जायेगा।
9. निविदादाता/नीलामीदाता/फर्म के द्वारा म्हाडी पूजा स्थल पर सामग्री को इकट्ठा किये जाने हेतु केवल 02 कर्मचारियों की तैनाती करनी होगी फर्म द्वारा नियुक्त किये गये 02 कर्मिकों को मेलाधिकारी द्वारा पहचान पत्र निर्गत किया जायेगा, अन्य किसी व्यक्ति की उपस्थिति मान्य नहीं होगी तथा उक्त सामग्री पूजा स्थल के पीछे के गेट से उठायेगें।
10. किसी भी तरह का बकाया, निविदादाता/नीलामीदाता/फर्म पर रहने पर उस बकाया धनराशि को भू-राजस्व की भांति वसूल किया जायेगा।
11. निविदादाता/नीलामीदाता/फर्म को अपने व्यय पर पर्याप्त मूल्य के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध कराना होगा। स्टाम्प निविदा आमन्त्रित तिथि के उपरान्त का ही स्वीकार किया जायेगा। स्टाम्प की कमी पाये जाने पर केवल निविदादाता/फर्म ही जिम्मेदार होगा। इसलिए निविदादाता/फर्म का उत्तरदायित्व होगा कि वह सहायक आयुक्त स्टाम्प से स्टाम्प पेपर के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें।
12. किसी भी शर्त के उल्लंघन करने पर जुर्माना करने, जमा धनराशि जब्त कर निविदा निरस्त करने और फर्म को प्रतिबन्धित/ब्लैक लिस्ट करने का अधिकार नगर आयुक्त को होगा।
13. नगर आयुक्त को जनहित में किसी भी शर्त को परिवर्तन करने अथवा संशोधित करने का अधिकार होगा।
14. निविदा में किसी भी विभाग के द्वारा बकायेदार/ब्लैक लिस्टेड/डी-बार निविदादाता/नीलामीदाता/फर्म निविदा में प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे।
15. यदि किसी निविदादाता/नीलामीदाता/फर्म द्वारा कोई तथ्य छिपाया जाता है और वह तथ्य छिपाकर निविदा प्राप्त करने में कामयाब हो जाता है और बाद में तथ्य उजागर होने पर ऐसे निविदादाता/नीलामीदाता/फर्म के विरुद्ध जमानत राशि जब्त करने व डी-बार/ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जायेगी, अपराधिक कृत्य पाये जाने पर प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी।
16. निविदा के साथ संलग्न समस्त स्टाम्प पत्र निविदा तिथि के उपरान्त का ही मान्य होगा।

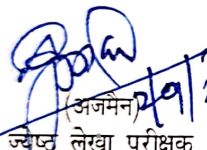
17. उक्त निविदा से सम्बन्धित जानकारी रिकार्ड अनुभाग, नगर निगम, सहारनपुर में रिकार्ड कीपर/मेला लिपिक से किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।
18. सफल निविदादाता/नीलामीदाता/फर्म की धरोहर धनराशि कार्य समाप्ति के 01 माह उपरान्त संतोषजनक होने की स्थिति में दी जायेगी।
19. शर्त पूरी नहीं करने वाली निविदा एवं सशर्त युक्त निविदा पर विचार नहीं किया जा सकेगा और निविदा भी निरस्त कर दी जायेगी।
20. निविदा आमन्त्रणकर्ता को परिशिष्ट/शुद्धि पत्र जारी करने का अधिकार है। जो किसी भी समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जायेगा। सभी सम्भावित निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि नियमित रूप से ई-निविदा पर निगरानी रखें।
21. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त का निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।
22. किसी भी वाद की स्थिति में मा0 सिविल न्यायालय सहारनपुर का अन्तिम निर्णय होगा, जो सभी को मान्य होगा।
23. किसी भी निविदा को नियमानुसार स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त में निहित होगा।


(आलोक कुमार सैनी)
रिकॉर्ड कीपर
8477008002

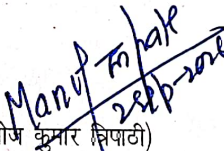

(जय प्रकाश यादव)
प्रभारी रिकॉर्ड
9999992604

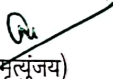

(प्रदीप कुमार)
वरिष्ठ रिकॉर्ड प्रभारी/
अपर नगर आयुक्त
8477008003

निविदा पुनरीक्षण समिति :-


(अजमेन)
ज्येष्ठ लेखा परीक्षक
9454202035


(जय प्रकाश यादव)
प्रभारी रिकॉर्ड
9999992604


(मनोज कुमार)
लेखाधिकारी
8451206800


(मृत्युंजय)
अपर नगर आयुक्त
8477008089